UPFR010001642013
Session Trial/100315/2013

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो)–01, फर्रूखाबाद।
पीठासीन अधिकारी– मेराज अहमद, (एच.जे.एस.) J.O. Code-UP1677

सत्र परीक्षण सं०–315/2013

उत्तर प्रदेश राज्य

--------अभियोजन पक्ष

बनाम

सुदेश कुमार पुत्र सरनाम सिंह, निवासी रसीदपुर थाना–मऊदरवाजा, जिला–फर्रुखाबाद।

----------अभियुक्त

अ०सं० 160/2013
धारा–366, 376 भा.द.सं.
थाना–मोहम्मदाबाद
जनपद– फर्रुखाबाद।

राज्य की ओर से– श्री भानु प्रकाश मिश्र, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०)
अभियुक्त की ओर से– श्री आदर्श कुमार, एडवोकेट

प्रकरण से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में

1	घटना की तिथि	21.04.2013
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	10.05.2013
3	अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि	31.07.2013
4	उपरोक्त मुकदमे में आरोप विरचित किये जाने की तिथि	17.02.2014
5	अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्ति की तिथि	17.11.2025
6	उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं अंकित करने की तिथि	28.11.2025
7	बहस की तिथि	05.12.2025, 06.12.2025
8	निर्णय की तिथि	17.12.2025

निर्णय

1. थाना–मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सुदेश कुमार के विरूद्ध मु०अ०सं० 160/2013 में अन्तर्गत धारा–366, 376 भा.द.सं. के आरोप पत्र का

Digitally signed by MERAJ AHMED
Date: 2025.12.17 17:11:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 09, फर्रुखाबाद द्वारा प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त सत्र परीक्षण हेतु दिनांक 15.10.2013 को सत्र सुपुर्द किया गया। उक्त सत्र परीक्षण वाद का विचारण विभिन्न न्यायालयों में चलने के पश्चात माननीय जनपद न्यायाधीश के अंतरण आदेश दिनांक 30.08.2025 से इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त का सत्र विचारण किया गया।

2. **<u>अभियोजन कथानक–</u>** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी की लड़की कु० मंजेश निगम दिनांक 21.04.2013 को अपनी ननिहाल नगला बाग राठौरा थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद में गुम हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मैंने थाने पर गुमशुदा की दिनांक 02.05.2013 को रिपोर्ट लिखाई थी। उक्त गुमशुदा को मु०अ०सं० 160/13 धारा 366 भा.दं.सं. में तरमीम कर विवेचना की जा रही है। मैं अपने बहनोई राधेश्याम पुत्र श्री सालिक ग्राम रजलामई थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद के यहाँ अपनी लड़की की तलाश में गया तो वहाँ पर मुझे धर्मेन्द्र पुत्र जगदीश निवासी रजलामई थाना शमशाबाद जपनद फर्रुखाबाद में मुझे मेरे बहनोई राधेश्याम के सामने बताया कि मैंने तुम्हारी लड़की मंजेश को दिनांक 21.04.2013 को बेवर फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम नगला बाग राठौरा मोड़ पर तुम्हारे ही गांव के सुदेश पुत्र सरनाम सिंह के साथ खड़ा देखा था। जो किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मैंने अपने गांव का वापस आकर सुदेश के बारे जानकारी की गयी तो मुझे पता चला कि भी घटना के बाद से अपने घर से गायब है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी लड़की कु० मंजेश को सुदेश उपरोक्त शादी करने के उद्देश्य से बहलाकर अपने साथ ले गया है। सुदेश उपरोक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर लड़की बरामद करें।

3. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त सुदेश कुमार पुत्र सरनाम सिंह के विरुद्ध दिनांक 10.05.2013 को थाना–मोहम्मदाबाद, जनपद–फर्रुखाबाद में मु०अ०सं० 160/2013, अन्तर्गत धारा–366 भा.द.सं के तहत पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया, साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अमरपाल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–366, 376 भा.दं.सं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

4. आरोप विरचित करते समय विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मु०अ०सं० 160/2013, अन्तर्गत धारा–366, 376 भा.द.सं के तहत अभियुक्त सुदेश कुमार के विरूद्ध दिनांक 17.02.2014 को आरोप विरचित किये गये तथा अभियुक्त को आरोप के तत्व को बताया एवं सुनाया गया। अभियुक्त द्वारा विरचित किये गये आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मांग की गयी।

5. **अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य का विवरण–**

साक्षी का क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का दिनांक	साक्षी का प्रकार
पी०डब्लू–1	रमेश चन्द्र	20.08.2014,	वादी मुकदमा

		23.09.2014, 31.07.2019	
पी०डब्लू–2	मंजेश निगम	18.11.2014, 05.02.2015	पीड़िता
पी०डब्लू–3	का० प्रमोद कुमार	02.06.2007	चिक एफ०आई०आर० लेखक
पी०डब्लू–4	डा० योगेन्द्र सिंह	04.08.2017	रेडियोलॉजिस्ट
पी०डब्लू–5	उपनिरीक्षक, प्रेमपाल सिंह	11.02.2019, 16.04.2019	विवेचक
पी०डब्लू–6	डॉ० कृष्णा बोस	11.03.2019, 18.08.2025	चिकित्सक
पी०डब्लू–7	धर्मेन्द्र	30.08.2022, 10.11.2022	चश्मदीद गवाह

6. अभियोजन साक्षी द्वारा साबित किये गये अभिलेखीय साक्ष्य का विवरण–

क्र.सं.	अभिलेख	प्रदर्श संख्या	साबित किया
1	• लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू–1
2	• बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं.	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू–2
3	• मूल जी.डी. कायमी	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू–3
4	• एक्सरे रिपोर्ट(कागज सं० 17A) • एक्सरे प्लेट(कागज सं० 18A)	प्रदर्श क–4 वस्तु प्रदर्श –1	पी०डब्लू–4
5	• आरोप पत्र(कागज सं० 3A) • फर्द बरामदगी(कागज सं० 8A) • फर्द बरामदगी अपहृता(कागज सं.10A) • नक्शा नजरी(कागज सं० 19A/1) • नक्शा नजरी अपहृता सम्बन्धी (कागज सं० 19A/2)	प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9	पी०डब्लू–5
6	• चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (कागज सं० 13A) • पैथोलॉजी फार्म(कागज सं० 14A) • सप्लिमैन्ट्री रिपोर्ट(कागज सं० 16A)	प्रदर्श क–10 प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12	पी०डब्लू–6

7. <u>बयान मुल्जिमान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं.–</u>

अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त **सुदेश कुमार** के **बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं.** हेतु मय विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित। अभियुक्त उपरोक्त का बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन

कथानक को गलत बताया एवं वादी मुकदमा से मिलकर थाना से मिलकर गलत रिपोर्ट तैयार किया जाना, वादी मुकदमा से मिलकर झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना, मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के कहने पर रिपोर्ट तैयार किया जाना एवं विशेष कथन में कुछ नहीं कहना कहा गया है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।

8. **अभियोजन द्वारा परीक्षित मौखिक साक्ष्य–**

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–1 रमेश चन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी लड़की का नाम मंजेश निगम है। मेरी पुत्री मंजेश नारायण लक्ष्मी महाविद्यालय गैसिंगपुर बेवर रोड़ पर बी०ए० फाइनल में पढ़ती थी। दिनांक 21.04.2013 को मेरी लड़की अपनी ननिहाल नगला बाग रठौरा में गयी थी। वहाँ से सुबह अकाश पुत्र प्रभूदयाल ने ननिहाल से लेकर नुन्दसा मोड़ पर सड़क पर छोड़ दिया था और चल गया। लड़की ने बताया था कि मैं अपने कालेज जा रही हूँ। लेकिन लड़की घर वापस नहीं आयी। मैंने उसे काफी तलाश किया लेकिन लड़की नही मिली तब मैंने थाने मोहम्मदाबाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2013 लिखाई थी। मैंने अपने बहनोई राधेश्याम निवासी रजलामई थाना शमशाबाद लड़की की तलाश में गया था। वहाँ मुझे धर्मेन्द्र मिले थे, उन्होंने मेरे बहनोई राधेश्याम के सामने बुलाया था कि तुम्हारी मंजेश को दिनांक 21.04.2013 को बेवर फर्रुखाबाद रोड़ पर नगला बाग रठौरा मोड़ पर तुम्हारे गांव के सुदेश बहन के इन्तजार में खड़ा देखा था। उसके बाद मैंने फिर वापस आकर सुदेश के बारे में जानकारी की तो पता चला कि सुदेश घटना के समय से घर से गायब है। मुझे पूरा शक हो गया कि मेरी लड़की मंजेश को सुदेश हाजिर अदालत है। शादी करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले गया है। मेरी लड़की मंजेश करीब तीन महीने बाद महिला थाना फतेहगढ़ में मिला था, साथ में सुदेश भी महिला थाना में मौजूद था। पुलिस ने मेरी लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराय था। मेरी लड़की सुपुर्दगी में मिल गयी थी। पुलिस ने मुझसे इस घटना के बारे में पूछताछ की थी। मैंने एक प्रार्थना पत्र जो पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 6A है, को देखकर बुलाया कि यह मेरे हस्तलेख में है मैंने थाना मोहम्मदाबाद में दिया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2013 को थाने पर दिया था।

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 मंजेश निगम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि यह घटना दिनांक 21.04.2013 की है। मैं उस समय नारायण लक्ष्मी महाविद्यालय बसन्त नगर गैसिंगपुर में बी०ए० फाइनल में पढ़ती थी। घटना वाले दिन मेरा भूगोल का प्रेक्टीकल था। मेरा ममेरा भाई अकाश मुझे मोहम्मदाबाद जाने वाली सड़क पर छोड़ने आया था। मुख्य सड़क के तिराहे पर छोड़कर अकाश चला गया। तिराहे पर मैं स्कूल जाने के लिए तिराहे पर खड़ी थी। वही पर सुदेश बस से आया था। यह मेरे गांव का है। इसने मुझसे कहा कि चलो दिल्ली में नौकरी लगवा दूंगा। मुझे सुदेश दिल्ली ले गया और मेरे सारे कागजात ले लिये। दिल्ली में एक कमरे में रखा था। कमरा किराये पर लिया था। कमरे में रखकर सुदेश ने जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया था। इसने मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के बुरा काम किया था। था। बुरा काम का मतलब मैं अच्छी तर समझती हूँ। सुदेश ने अपना लिंग मेरे पेशाब की जगह में घुसेड़ा था। सुदेश ने मुझे करीब दो महीने दिल्ली में रखा था। जब तक मुझे सुदेश ने रखा तब तक

बराबर मेरे साथ बुरा काम करता रहा। इसके बाद मुझे गाजियाबाद में रखा था। गाजियाबाद में सुदेश के पिता सरनाम सिंह और उसके मामा उमाशंकर तथा उमाशंकर का लड़का पंकज मुझे लेकर आये थे और मुझे पुलिस को दे दिया था। पुलिस ने मेरा डाक्टरी मुआयना कराया था। पुलिस ने मुझसे इस बारे में पूछताछ की थी। पुलिस ने मेरे मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराये थे। यह सारी बातें मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बतायी थी। बयान के बाद पुलिस ने मुझे मेरे माँ–बाप को सौंप दिया था। उस समय मैं अपने माता पिता के पास हूँ। न्यायालय के आदेश से बयान 164 द.प्र.सं. सील बन्द लिफाफा खोला गया। बयान 164 द.प्र.सं. गवाह को पढ़कर सुनाया गया। उसने कहा कि यही बयान मैंने मजिस्ट्रेट को दिया था। इस पर मेरा फोटो लगा है तथा मेरे हस्ताक्षर है। कागज सं० 12A है। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा सन् 2007 में पास की थी। मेरी जन्म तिथि 01.05.1990 है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 कॉन्स्टेबल, प्रमोद कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद का आदेश दिनांकित 02.05.2013 प्राप्त हुआ था। जो कु० मंजेश पुत्र रमेश चन्द्र के दिनांक 21.04.2013 को गुम होने के सम्बन्ध में सी०ओ० महोदय ने अपने आदेश में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने के लिए आदेश दिया था। सी०ओ० साहब के आदेश के आधार पर अभियोग अपराध सं० 160/13 धारा 366 में मेरे द्वारा तरमीम किया गया था। जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज किता की। जी०डी० मैंने मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में तैयार की थी, मूल जी०डी० आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ जो पढ़कर देखकर कार्बन प्रति से मिलान कर लिया है। दोनों एक समान है, कार्बन प्रति को मैं प्रमाणित करता हूँ, प्रपत्र पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–4 डा० योगेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 27.08.2013 को कु० मंजेश निगम पुत्री रमेश निगम को आयी परीक्षण वास्ते एक्सरे कराने के लिये द्वारा होमगार्ड 431 विनीता तिवारी थाना मऊदरवाजा द्वारा लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद लाया गया, पीड़िता का विवरण में एक्सरे रजिस्टर में क्रमांक 4725 पर अंकित है, एक्सरे किया गया और एक्सरे प्लेट पर भी यही नम्बर डाला गया, एक्सरे रिपोर्ट निम्न है– दाहिनी कोहनी पर स्थित हड्डियों की E.P.फाइसिम जुड़ी हुई थी। दाहिने घुटने पर घुटने पर स्थित हड्डियों की E.P.फाइसिम जुड़ी हुई थी। दाहिनी कलाई पर स्थित रेडियस एक अलना हड्डियों की E.P.फाइसिम जुड़ी हुई थी। एक्सरे के आधार पर कु० मंजेश निगम की उम्र लगभग 18 वर्ष लिखी गयी। एक्सरे रिपोर्ट पर पीड़िता का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया, एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं० 17A मेरे लेख व हस्ताक्षर में इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। एक्सरे प्लेट पत्रावली पर कागज संख्या 18A है इस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **उपनिरीक्षक, प्रेमपाल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 10.05.2013 को अभियोग की विवेचना मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द की गयी थी। जिसमें पर्चा नं० 1 दिनांक 11.05.2013 को किता किया गया। जिसमें नकल रपट गुमशुदगी, नकल रपट तरमीम, नकल रपट आदेश

श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बयान का० वीरेन्द्र सिंह गुमशुदगी दर्जकर्ता का बयान का० प्रमोद कुमार, पर्चा नं० 2 दिनांक 17.05.2013 को किता किया गया, जिसमें बयान वादी, बयान गवाह श्यामलाल, श्रीमती लीलावती व महेश सिंह अंकित किये गये। पर्चा नं० 3 23.05.2013 को किता किया गया। जिसके बयान गवाह अकाश अंकित किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। पर्चा नं० 4 दिनांक 19.06.2013 को किता गया गया। विभिन्न तिथियों पर विवेचक द्वारा कई पर्चे किता किये गये। पर्चा नं० 10 दिनांक 01.08.2013 को किता किया गया। जिसमें चिकित्सीय परीक्षण हेतु व पैथोलॉजी टेस्ट हेतु भेजा गया। नकल मेडिकल रिपोर्ट अंकित की गयी सी०डी० पर जिसमें मा० न्यायालय द्वारा अपहृता का 164 द.प्र.सं. के बयानों की नकल सी०डी० पर अंकित की गयी। सुपुर्दगीनामा का नकल अंकित की गयी। अपहृता के बयान 164 द.प्र.सं. के कथनानुसार अभियोग की धारा 376 IPC की वृद्धि की गयी। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 209/13 धारा 366, 376 IPC प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज सं० 3A आरोप पत्र, कागज सं० 8A फर्द बरामदगी, कागज सं० 10A, फर्द बरामदगी अपहृता, कागज सं० 19A/1 व 19A/2 नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–5 लगायत प्रदर्श क–9 डाला गया।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–6 डा० कृष्णा बोस** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया कि दिनांक 01.08.2013 को मैंने दोपहर साढ़े बारह बजे कु० मंजेश निगम पुत्र रमेश निगम का मेडिकल परीक्षण किया ता। जो कि महिला का० रेनु शाक्य व होमगार्ड विनीता तिवारी के साथ लायी गयी थी। पहचान चिन्ह चेहरे में बापयी तरफ कान में दो से०मी० दूर एवं छोटा काला तिल मौजूद था। **बाह्य परीक्षण–** पीड़िता दुबली–पतली थी। ऊँचाई 145cm वजन 35Kg दांत 16/16 थे छाती विकसित थी। बगल एवं गुप्तांग के बाल विकसित थे। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। **अंतरिक परीक्षण–** गुप्तांग पर चोट का कोई निशान नहीं था पुराना भरा हुआ हाईमिनल टियर था। योनि मे दो ऊँगलियाँ आसानी से प्रवेश हो रही थी। वेजाइनल स्केमर दो स्लाइडस पर तैयार की गयी एवं पैथालॉजी जाँच हेतु यू०एच०एम० अस्पताल कानपुर भेजी गयी थी। पीड़िता को तीन महीने के बढ़े हुए थे। उसके पेशाब की जाँच एवं अल्ट्रासाउण्ड की दी सलाह रोक दी थी। उम्र की गणना के लिए दायी कलाई, दांयी कोहनी एवं दायें घुटने के एक्सरे की सलाह दी गयी थी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कोई निश्चित राय कायम की जा सकती है। पत्रावली में शामिल कागज सं० 13A चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। सप्लीमैंट्री रिपोर्ट मैनें 02.09.2013 को दोपहर दो बजे डा० राम मनोहर लोहिया महिला अस्तपाल में तैयार की थी। एक्सरे रिपोर्ट डा० योगेन्द्र सिंह सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डा० राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय द्वारा प्लेट सं० 4725 27.08.2013 को तैयार किया गया। दांयी कोहनी व जोड़ जुड़े हुए थे। दांये घुटने के जोड़ भी जुड़े हुए थे। पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष बतायी गयी है। पैथालॉजी रिपोर्ट सीनियर पैथोलॉजिस्ट यू०एच०एम० अस्तपाल कानपुर के द्वारा रिपोर्ट सं० 368/13 दिनांक 18.08.2013 को दिया गया। जिसमें कोई शुक्राणु नहीं पाये गये थे। मेरी राय में बलात्कार के सम्बन्ध में

कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। पीड़िता संभोग की आदी थी। और पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। पत्रावली में शामिल कागज सं० 14A पैथोलॉजी फार्म एवं कागज सं० 16A/1 मेरे लेख में तैयातर की गयी थी। अपने लेख व हस्ताक्षर की मैं पहचान करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क–11 व क–12 डाला गया।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–7 धर्मेन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया कि मेरे गांव के राधेश्याम की ससुराल ग्राम रसीदपुर थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद में है। रिश्तेदारी होने के कारण मैं ग्राम रसीदपुर आता जाता रहता हूँ। रसीदपुर राधेश्याम के रिश्तेदार रमेशचन्द्र को व उनके परिवार वालों को जानता पहचानता हूँ। तारीख इस समय मुझे याद नहीं है। सन् 2013 की बात है मैं मैनपुरी से वापस अपने घर आ रहा था। बेवर–फर्रुखाबाद मार्ग पर नगला बाग रठौरा मोड़ पर मंजेश व सुदेश वहीं पर खड़े थे। सुदेश ग्राम रसीदपुर के हैं, मैंने उनके साथ मंजेश को खड़ा देखा था समय करीब 9–9:15 बजे की थी। घटना से 2–3 दिन पहले मंजेश के पिता रमेश चन्द्र अपने बहनोई राधेश्याम के घर रजलामई आये थे व उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ पर मैंने मंजेश को सुदेश के साथ खड़े होने वाली बात राधेश्याम व रमेश को बतायी थी। प्रकरण के विवेचक ने मुझसे बयान लिया था।

15. **<u>बहस</u>**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

16. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभितर्क दिया गया कि वादी मुकदमा की पुत्री मंजेश निगम को अभियुक्त सुदेश द्वारा उसकी सहमति के बिना व्यपहृत करते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश अथवा अयुक्त संभोग करने के उद्देश्य से उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता और अभियुक्त सुदेश को एक साथ मोहम्मदाबाद में पकड़ा गया है। पीड़िता ने अपने बयानों में भी अभियुक्त के विरुद्ध बयान अंकित कराये हैं। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गंभीर एवं जघन्य अपराध कारित किया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्ट्या साबित होते हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने पर बल दिया गया है।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि घटना से अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब बारह दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विम्लब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीड़िता, अभियुक्त को स्वयं पसंद करती थी, पीड़िता अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गयी थी और अभियुक्त द्वारा जबरन शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये जाने का कथन स्वयं पीड़िता द्वारा बयान दिया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य में कोई बल नहीं है। औपचारिक साक्षीगण के बयानों में भी एकरूपता नहीं है। अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त पर लगाये आरोपों से दोषमुक्त करने की याचना किया।

18. अभियोजन के साक्ष्य का विश्लेषण

दाण्डिक न्याय प्रणाली का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करना प्रारम्भिक शर्त है। अभियोजन यदि लगाये गये आरोपों को प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहती है, तो उस दशा में संदेह का लाभ आरोपी को प्रदान किया जायेगा।

19. प्रस्तुत विचारण में अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 21.04.2013 को व बस्थान बस्थान ग्राम नगला बाग रठौरा मोड़ थाना–मोहम्मदाबाद, जनपद–फर्रूखाबाद में अभियुक्त सुदेश द्वारा उसकी सहमति के बिना व्यपहृत करते हुए उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने के लिए विवश अथवा अयुक्त संभोग करने के उद्देश्य से उसके साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्त पर धारा–366,376 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया गया है।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता–

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को करीब 12 दिन विलम्ब से पंजीकृत होना बताते हुए बहस किया गया कि वादी मुकदमा द्वारा गांव के लोगों से राय मशविरा कर झूठा फंसाने के उद्देश्य से अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराया गया है। विलम्ब का दौरान विचारण कोई समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन की कार्यवाही दूषित हो जाती है। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन में तर्क दिया गया कि घटना दिनांक 21.04.2013 की है। पुलिस के कहने पर वादी मुकदमा अपनी रिश्तेदारी में अपनी पुत्री को तलाश करता रहा, जिसमे काफी समय व्यतीत हो गया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी की लिखित तहरीर दिनांक 02.05.2013 को देकर थाने में सूचना दी गयी। दिनांक 03.05.2013 को सी०ओ० मोहम्मदाबाद के आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2013 को तरमीम की गयी है। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरान्त न्यायालय यह पाती है कि घटना घटित होने के करीब 12 दिन बाद अभियोग पंजीकृत होने पाया जाता है। वादी मुकदमी की पुत्री/पीड़िता बी०ए० अंतिम वर्ष की परीक्षा देने अपनी ननिहाल गयी थी। पीड़िता नानी के घर से विद्यालय परीक्षा देकर वापस नहीं आई। पीड़िता के ननिहाल द्वारा वादी मुकदमा को चार दिन बाद सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री गुम हो गयी है। वादी मुकदमा द्वारा पुत्री के ननिहाल द्वारा गुम होने के सूचना दिये जाने के आठ दिन बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियोजन द्वारा अपनी बहस में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने का समुचित स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियोजन द्वारा बचाव के द्वारा दिये गये तर्क के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब का जो कारण या वजह अपनी बहस में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वह स्पष्टीकरण विचारण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अधीन उचित एवं युक्ति–युक्त नहीं पाया जाता है।

21. द०प्र०सं० की धारा 354(1) के अनुसार वर्तमान प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक है।–

I. क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी?

II. क्या अभियुक्त सुदेश द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध फुसला कर व्यपहरण या अपहरण किया। व्यपहरण या अपहरण का उद्देश्य उसको नौकरी का प्रलोभन या अयुक्त संभोग तथा विवाह करने के लिये विवश करते हुए उसके साथ बलात्कार किया गया ?

III. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

22. इस सम्बन्ध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी?

23. **<u>क्या घटना के समय पीड़िता वयस्क या अवयस्क थी–</u>** इस सम्बन्ध में घटना कारित किये जाने का वर्ष 2013 में प्रचलित जे०जे० अधिनियम, 2000 से सम्बन्धित नियमावली 2007 के नियम 12 में आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। विधि से संघर्षरत व्यक्ति की किशोरवयता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक बनावट या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर किया जाना था। लेकिन न्यायालय या जे०जे० बोर्ड द्वारा आयु निर्धारण की जाँच निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके की जाती थी: (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हों और उनके अभाव में; (ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जहाँ आपने पहली बार शिक्षा प्राप्त की हो; और उनके अभाव में; (iii) किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। केवल (i) में से किसी एक के अभाव में,

उपरोक्त (ii) और (iii) के अभाव में, किशोर या बच्चे की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय राय ली जा सकती है। यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारण करते समय, एक वर्ष की सीमा के भीतर कम आयु को ध्यान में रखकर बच्चे या किशोर को लाभ दिया जा सकता है।

24. आयु निर्धारण के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 व उससे संबंधित नियम 12 नियमावली 2007 में जो प्रक्रिया किशोर की आयु निर्धारण के लिए दी गयी है उसके आधार पर बलात्संग एवं व्यपहरण से संबंधित पीड़िता की आयु का निर्धारण किया जाना चाहिये। समान्तर अभिमत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेन्च के द्वारा **अली मोहम्मद बनाम उ.प्र.राज्य 2016 (1) A.L.J. 54** में पारित किया गया है।

25. इस सम्बन्ध में घटना की पीड़िता घटना दिनांक को बी०ए० अंतिम वर्ष में शिक्षारत थी। पत्रावली में पीड़िता का हाईस्कूल का प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र कागज सं० 11A उपलब्ध है, जिसमें पीड़िता की आयु 01.05.1990 अंकित है। शैक्षणिक अभिलेख के अनुसार पीड़िता की आयु घटना दिनांक 21.04.2013 को पीड़िता 22 साल 11 माह 20 दिन की आयु होना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजी के आधार पर यह तथ्य साबित होता है कि घटना दिनांक को पीड़िता की आयु लगभग

18 वर्ष थी। चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू–4 द्वारा ऑशीफिकेश टेस्ट में पीड़िता की आयु 18 वर्ष पायी है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी सम्भावना व्यक्त किया है कि उम्र में लगभग 06 माह का अंतर दोनों तरफ होना सम्भव है। उपरोक्त शैक्षणिक प्रपत्र एवं आधुनिक चिकित्सा सिद्धान्तों के आलोक में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित होता है कि घटना दिनांक को पीड़िता की आयु लगभग 22 साल 11 माह 20 दिन थी। इस प्रकार अभियोजन विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या 1 को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा हैं। अतः विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या–1 अभियोजन के पक्ष में निर्णीत नहीं किया जाता हैं।

26. <u>**विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या–II**</u> क्या अभियुक्त सुदेश द्वारा वादी मुकदमा की अवस्यक पुत्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध फुसला कर व्यपहरण या अपहरण किया। व्यपहरण या अपहरण का उद्देश्य उसको नौकरी का प्रलोभन या अयुक्त संभोग तथा विवाह करने के लिये विवश करते हुए उसके साथ बलात्कार किया गया ?

27. धारा 366 भा.दं.सं. में परिभाषित अपराध का उल्लेख करने समीचीन होगा। **भा.दं.सं. की धारा 366– विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसकी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना** –"जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

28. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–366, 376 भा.द.सं. के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर साबित प्रदर्श क–1 का अवलोकन किया गया, अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा रमेशचन्द्र के द्वारा अभियुक्त सुदेश पर उसकी पुत्री को बहला–फुसला कर शादी के उद्देश्य से ले जाने का अभियोग लगाया गया है। अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप की विश्वसनीयता को परखने के लिए सर्वप्रथम बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षीगण की गयी जिरह का विश्लेषण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा द्वारा अपनी जिरह में अभिकथन किया कि मुझे यह बात धर्मेन्द्र निवासी रजलामई ने बतायी थी कि तुम्हारी लड़की को सुदेश के साथ नंदसा मोड़ पर देखा था और तुम्हारी लड़की को सुदेश ही ले गया है। साक्षी ने पृष्ठ संख्या 5 पर अभिकथन किया कि "मेरी पुत्री मंजेश निगम गांव के मंगेध लाल की लड़की किसी के

मोबाइल फोन नं० 7376845457 से कभी–कभी चुपके से किसी से बात करती थी। जिसमें डबल सिम था। मेरी लड़की ने दिनांक 20.04.2013 को मोबाइल नं० 8009046793 पर किसी से बात की थी यह बात सही है।" पृष्ठ संख्या 7 पर कथन किया कि घटना की सूचना मैंने थाने में घटना के 15 दिन के अंदर दी थी। साक्षी ने अपनी जिरह के पृष्ठ संख्या 8 पर 12 वीं पंक्ति में कथन किया कि "**यह बात सही है कि मेरी लड़की मंजेश निगम व सुदेश के पहले से ही सम्बन्ध थे।**" यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी जिरह में किये गये कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसे पूर्व से ही जानकारी थी कि उसकी पुत्री मंजेश की मित्रता अभियुक्त सुदेश से थी और वह चुपके–चुपके फोन से बातचीत भी करती है।

29. पी०डब्लू–2 पीड़िता द्वारा अपनी जिरह के पृष्ठ संख्या 1 की तीसरी पंक्ति में कथन "मैं अपनी मर्जी से सुदेश के साथ नहीं गयी थी। सुदेश के साथ मैं बस से गयी थी। सुदेश मुझे जबरदस्ती पकड़कर बस में ले गया था। बस में हम लोगों के अलावा और भी सवारी थी। पूरी बस भरी थी। मैंने किसी से बस में नहीं कहा था कि सुदेश मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है।" पृष्ठ संख्या 2 के दूसरे प्रस्तर की प्रथम पंक्ति में कथन किया कि मैं पढ़ी–लिखी हूँ। अपना भला–बुरा भी समझती हूँ। घटना के समय मेरे पास मोबाइल था। मेरे मोबाइल के सिम गुप्त थी। मुझे उसका नम्बर नहीं मालूम। मैं अपने नम्बर से बात करती थी। मैं अपने नम्बर से रोज बात करती थी। सुदेश से भी बात करती थी। पृष्ठ संख्या 3 के अंतिम पंक्तियों में कथन किया कि मेरे पास जो मोबाइल फोन था उसकी जानकारी मेरे पिता को नहीं थी। वह फोन मैं छिपाकर रखती थी। साक्षी द्वारा अपनी जिरह के अंतिम पृष्ठ पर कथन किया कि मेरे मोबाइल नं० 8009046793 से दिनांक 01.03.2013 से दिनाकं 21.04.2013 तक सुदेश से बात हुई थी। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. का जो बयान दिया गया है उससे अभियुक्त द्वारा उसके साथ गंदी हरकत करने का कथन किया एवं विवाह करने के तथ्य से इन्कार किया गया है। जहाँ तक जबरदस्ती ले जाने का कथन है तो अभियोजन द्वारा घटना का एक चश्मदीद साक्षी पी०डब्लू–7 के रूप में धर्मेन्द्र को पेश किया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह के पृष्ठ संख्या 02 की पांचवीं पंक्ति में कथन किया कि रमेशचन्द्र जोकि रसीदपुर के रहने वाले हैं। राधेश्याम के रिश्तेदार हैं। रमेशचन्द्र, राधेश्याम के सगे साले हैं। मेरी रसीदपुर में कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैंने जिस दिन सुदेश व मंजेश को रठौरा मोड़ पर देखा था उसी दिन मैं घर वापस आ गया था। मैंने उसी दिन राधेश्याम के घर जाकर सुदेश व मंजेश के रठोरा मोड़ पर खड़े होने वाली बात बतायी थी।" गवाह का यह बयान इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि घटना की सूचना वादी मुकदमा को घटना के दिन ही हो गया था, किन्तु वादी मुकदमा द्वारा उसी दिन थाने पर सूचना क्यों नहीं दी गयी? यह प्रश्न अभियोजन के कथानक को संदेहास्पद बनाता है। पीड़िता द्वारा जिरह में किया गया कथन कि अभियुक्त उसे जबरदस्ती ले गया था। यह संदेह से परे साबित नहीं होता है, क्योंकि पीड़िता जहाँ से बस पकड़ा वह एक सार्वजनिक स्थान होता है वहाँ पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों का मौजूद होना स्वाभाविक है। किन्तु पीड़िता द्वारा किसी भी व्यक्ति से सहायता के लिए आवाज नहीं लगाया गया। पीड़िता द्वारा जिरह में यह भी कथन किया गया है कि वह बस से गई थी और बस में उसके अलावा कई सवारियाँ बैठी

हुई थीं, किन्तु पीड़िता द्वारा बस में भी किसी भी सवारी से अपने अपहरण या व्यपहरण हो जाने की बात किसी से नहीं बतायी गयी और न ही मदद के लिए चीख–पुकार या शोर शराबा किया गया। पृष्ठ संख्या 03 पर अंतिम से पांचवीं पंक्ति मे कथन किया कि "मैंने मंजेश को बस में बैठते हुए 40–50 कदम की दूरी से देखा था।" उपरोक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह तथ्य स्थापित होता है कि पीड़िता जिसकी आयु 22 साल 11 माह 20 दिन थी, वह बी०ए० अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए अपने ननिहाल गयी थी। वहाँ से सुदेश के साथ बस में बैठकर दिल्ली चली गयी। पीड़िता करीब दो माह तक अभियुक्त के साथ दिल्ली में रही एवं कुछ दिनों तक गाजियाबाद में रही। पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि सुदेश उसे जबरदस्ती बस में बैठाकर दिल्ली ले गया। परन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया कि जब वह सुदेश के साथ बस में बैठ कर जा रही थी, तब बस सवारियों से पूरी भरी हुई थी। यहाँ उल्लेखनीय हो जाता है कि जब बस पूरी सवारियों से भरी हुई थी, तब पीड़िता द्वारा शोर मचाकर सहायता क्यों नहीं मांगी गयी, अभियुक्त के कृत्य से बस के कंडेक्टर या किसी सवारी को क्यों नहीं अवगत कराया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–7 ने सुदेश एवं पीड़िता मंजेश को नन्दसा तिराहे पर जहाँ से वह लोग बस मे बैठकर दिल्ली गये, 40–50 कदम की दूरी से देखा गया, परन्तु इस साक्षी ने यह तथ्य प्रकट नहीं किया कि अभियुक्त सुदेश पीड़िता को जबरदस्ती या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे लिये जा रहा था। पी०डब्लू–7 के साक्ष्य की विश्वनीयता अकाट्य रूप से प्रकट नहीं होती है। यह साक्षी घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा है, क्योंकि जब जिरह किया गया कि वह कहाँ से आ रहा था, तो साक्षी द्वारा उत्तर दिया गया कि वह मैनपुरी में अपनी रिश्तेदारी के मामा राजेश के यहाँ से आ रहा था। जब साक्षी से यह प्रश्न पूछा गया कि उसके रिश्तेदार किसी गांव में रहते हैं, साक्षी द्वारा गांव का नाम नहीं बताया गया। गवाह की विश्वसनीयता यहाँ खंडित हो जाती है कि वह मैनपुरी जनपद के किस गांव में गया था, यहीं नहीं बता पाया है तो उसके अन्य कथनों पर न्यायालय आँख बन्द करके विश्वास नहीं कर सकती है। पीड़िता, अभियुक्त सुदेश के साथ दिल्ली में करीब दो माह तक रही इस अवधि के दौरान कभी भी किसी व्यक्ति से सहयोग या सहायता नहीं मांगी गयी और न ही शोर मचाकर यह बताने का प्रयास किया गया कि उसे अभियुक्त द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यहपरित किया गया। पीड़िता की आयु घटना दिनांक को 22 साल 11 माह 20 दिन पायी गयी है। पीड़िता द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में कथन किया कि वह एक पढ़ी–लिखी लड़की है और अपने अच्छे बुरा का उसे ज्ञान है। पीड़िता के पिता/वादी मुकदमा द्वारा भी स्वीकार किया गया कि अभियुक्त सुदेश एवं उसकी पुत्री के सम्बन्ध पहले से थे। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 366 भा०द०स० की समीक्षा करने पर यह तथ्य साबित होता है कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त के द्वारा अयुक्त संभोग के कृत्य से व्यपहरण अथवा अपहरण करने के तथ्य से न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों के आधार पर अभियोजन अपने कथानक खण्डित हो जाता है। लिहाजा पीड़िता की आयु 22 साल 11 माह 20 दिन घटना के समय साबित होने पर, अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 366 भा०द०सं० युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा हैं।

30. **धारा 375 बलात्संग**–यदि कोई पुरूष–

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या,

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कराता है, या,

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या,

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगता है या उससे ऐसा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जायेगा कि उसने "बलात्संग" किया है। जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में किसी के अधीन किया जाता है–

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधिपूर्ण विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवा– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण, उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति आौर परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा– उस स्त्री की सम्मति से या बिना, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है।

सातवां– जब वह स्त्री सम्मति संसुचित करने में असमर्थ है।

धारा 376 भा०दं०सं०–बलात्संग के लिए दंड–(1) जो कोई उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

31. अभियुक्त पर एक अन्य आरोप अंतर्गत धारा 376 भा.दं.सं. का लगाया गया है।

भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की परिभाषा धारा 375 में दिया गया है। घटना दिनांक 21.04.2013 की है। तत्समय प्रवृत्त (2013) भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में छठवीं परिस्थिति में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कोई 18 वर्ष की आयु से कम की महिला के साथ उसकी इच्छा से या उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संभोग करता है तो वह बलात्कार का अपराध कारित करता है। पीड़िता के बयान, पीड़िता की आयु का निर्धारण आदि पर ऊपर विश्लेषण किया जा चुका है। पीड़िता की आयु घटना के समय इस धारा के अधीन अपराध किये जाने के लिए 22 साल 11 माह 20 दिन की आयु थी और वह अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से जाती है और उसके साथ अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–6 चिकित्सक द्वारा अपने साक्ष्य में अभिकथन किया गया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं पायी गयी थी। पीड़िता का आंतरिक परीक्षण में भी गुप्तांग पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये थे। पुराना भरा हुआ हाइमेन टियर था। रिपोर्ट संख्या 368/13 के आधार पर उसमें कोई शुक्राणु मौजूद नहीं थे। साक्षी द्वारा पीड़िता से रेप के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय व्यक्त करने से इन्कार करते हुए पीड़िता को संभोग का आदी होना बताया गया है। ऐसे में पीड़िता, वादी मुकदमा के बयान एवं चिकित्सक द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित होता है कि पीड़िता एवं अभियुक्त के बीच प्रेम प्रसंग था और पीड़िता वयस्कता की आयु में थी, बी०एस० अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रही थी, वह अपना अच्छा बुरा सोचने एवं निर्णय लेने की सामर्थ्य रखती है तथा पीड़िता स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ विभिन्न स्थानों पर गयी और अपनी सहमति के आधार पर अभियुक्त के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये और पीड़िता के शरीर पर किसी भी प्रकार बाह्य व अंतरिक चोट का नहीं पाया जाना इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की जोर–जबरदस्ती से शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाया गया, बल्कि पीड़िता की सहमति के आधार पर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया था। ऐसे में पीड़िता द्वारा अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना प्रथम दृष्ट्या साबित होता है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पीडिता द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त उसे जबरदस्ती ले गया था और उसके साथ उसके इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता था। धारा 164 द.प्र.सं. का बयान अपने आप में कोई निश्चायक सबूत नहीं होता है उसका अन्य साक्ष्य के साथ सम्पोषण होना आवश्यक होता है। मात्र धारा 164 द.प्र.सं. के बयान के आधार पर किसी भी अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि पीड़िता के बरामद होने के उपरान्त वह अपने माता–पिता के साथ दो दिन रही थी और उनके प्रभाव में आकर अभियुक्त के विरुद्ध बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया है, जब कि उसके शरीर पर बलात्कार किये जाने सम्बन्धित कोई भी हल्का से भी चोट, खरोंच अथवा निशान नहीं पाया गया है। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष जो तथ्य स्थापित होता है उसके अनुसार पीड़िता वयस्कता की आयु से काफी ऊपर थी और वह बी०ए० अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वह अपना उचित–अनुचित समझने की परख रखती थी। पीड़िता स्वेच्छा से अभियुक्त के

साथ गई थी। पीड़िता ने अभियुक्त की गैर हाजिरी में दिल्ली में किसी प्रकार का शोर–शराबा या सहायता मांगने का प्रयास नहीं किया गया, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पीड़िता को अभियुक्त जबरदस्ती नहीं ले गया था और पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाया गया, बल्कि पीड़िता की सहमति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना साबित होता है। जब पीड़िता अभियुक्त के सामने रहती है तो चंद क्षण के लिए यह परिकल्पना की जा सकती है कि वह अभियुक्त के भय के असर के अधीन थी और विरोध अथवा सहायता नहीं मांग पायी, किन्तु इस विचारण में पीडिता अभियुक्त के साथ लगभग दो माह तक साथ रही थी। इन दो माह के समय में ऐसा सम्भव है ही नहीं कि अभियुक्त पीड़िता के सामने 24 घंटा रखवाली या निगरानी करता रहा हो। पीड़िता उस समय भी अपने आपको बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति से सहायता नहीं मांगी जब अभियुक्त उसके सामने मौजूद नहीं था। **कृष्ण कुमार मलिक बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा MANU/SC/0718/2011, राय संदीप बनाम स्टेट (एन०सी०टी० ऑफ देल्ही) MANU/SC/0623/2012 तथा संतोष प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार MANU/SC/0192/2020** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 164 द.प्र.सं. के बयान को निश्चायक सबूत नहीं माना जा सकता है। धारा 164 द.प्र.सं के बयान को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता किन्तु इसका सम्पोषण अन्य साक्ष्यों से होना आवश्यक है। प्रस्तुत विचारण में अभियोजन के पास आरोप को साबित करने के लिए मात्र पीड़िता का धारा 164 द.प्र.सं के बयान के अलावा अन्य सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा धारा 164 द.प्र.सं के बयान का सम्पोषण पीड़िता एवं अन्य अभियोजन के साक्ष्य से नहीं होता है। अतः उपरोक्त विमर्श के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध के आरोप अंतर्गत धारा 376 भा.दं.सं. को अभियोजन प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

32. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त सुदेश के विरुद्ध दिनांक 14.12.2012 को, समय 07:00 बजे शाम, बस्थान ग्राम सिवाराखास, थाना–कम्पिल, जनपद–फर्रूखाबाद में आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए वादी मुकदमा की वयस्क पुत्री को उसकी सहमति के बिना व्यपहरण करते हुए इच्छा के विरुद्ध विवाह करने अथवा संभोग करने के उद्देश्य से उसके साथ सम्बन्ध बनाये/बलात्कार किया गया, के दंडनीय अपराध के आरोप अंतर्गत धारा–366, 376 भा.द.सं. को प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर युक्ति–युक्त एवं संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभियोजन का कथानक संदेहास्पद होना पाया जाता है। अतः अभियुक्त सुदेश को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्ति का आदेश दिये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सुदेश पुत्र सरनाम सिंह को सत्र परीक्षण संख्या 315/2013 (अपराध संख्या 160/2013) राज्य प्रति सुदेश, थाना–मोहम्मदाबाद, जनपद–फर्रुखाबाद में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–366, 376 भा.द.सं. में **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में **मु० 25,000-25,000/-(पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए)** की **दो जमानतें** तथा उतनी ही धनराशि के **एक बंधपत्र** दाखिल अंदर दस दिन करे, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगी। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान किया जाये।

दिनांकः-17.12.2025

(मेराज अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो)-01,
फर्रूखाबाद।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर खुले न्यायालय में आज मेरे द्वारा उदघोषित किया गया।

दिनांकः-17.12.2025

(मेराज अहमद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो)-01,
फर्रूखाबाद।